तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील बहस सुनी। वास्ते आदेश पत्रावली दि० 16/7/2024 को पेश हो।
16/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात व रिपोर्ट भू०अ० निरीक्षक गुढलिया का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं संलग्न दस्तावेजातों के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरुस्ती नक्शा ट्रेस स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरुस्ती नक्शा ट्रेस पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नियमानुसार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 16/7/24

न्यायालय उप जिला कलक्टर

प्रकरण संख्याः– 41 / 2021
प्रकरण दायर दिनांकः–09.07.2021
प्रकरण निर्णय दिनांकः– 16.07.2024

उ

1. गंगाधर पुत्र नानगराम   जाति मीना नि
2. कजोड पुत्र नानगराम   जिला

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
2. काल्या पुत्र रेवड जाति मीना निवासी
दौसा

प्रार्थना पत्र इन्द्र

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरु
की खातेदारी भूमि खाता सं. नया 35 पुराना 3
01 कुल रकबा 0.30 हैक्ट. वाके ग्राम भॉवता तह
खातेदारी भूमि खसरा नं. 1033 का रकबा 0.3
काबिज काश्त हैं परन्तु राजस्व अहलकारान व
1033 का नक्शा ट्रेस बनाते समय करीबन 22
नक्शे में कम दर्शायी है। प्रार्थी की भूमि के लग
1031 है। जिसका रकबा 0.32 हैक्ट. है परन्तु
बना हुआ है जबकि कानूनन खसरा नं. 1031
प्रार्थीगण की आराजी ख. नं. 1030 एवं अप्रार्थी
651 रहा है। पूर्व में दोनों नंबरान का एक ही
पर नया नक्शा ट्रेस बनाते समय प्रार्थीगण की
सं. 02 की भूमि खसरा नं. 1031 का नक्शा 08
जिसे दुरूस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है
का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण
हैक्ट. का नक्शा ट्रेस को उसके रकबे 0.30 हैव
की कृपा करें।

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः– 41/2021
प्रकरण दायर दिनांकः–09.07.2021
प्रकरण निर्णय दिनांकः– 16.07.2024

उनवान

1. गंगाधर पुत्र नानगराम 2. कजोड पुत्र नानगराम	जाति मीना निवासी भॉवता तह. बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा
2. काल्या पुत्र रेवड जाति मीना निवासी भांवता तहसील बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती नक्शा ट्रेस

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती नक्शा ट्रेस इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता सं. नया 35 पुराना 33 आराजी ख. नं. 1033 रकबा 0.30 हैक्ट. कुल किता 01 कुल रकबा 0.30 हैक्ट. वाके ग्राम भॉवता तह. बसवा हाल तह. बॉदीकुई में स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1033 का रकबा 0.30 हैक्ट. है और प्रार्थीगण मौके पर 0.30 हैक्ट. पर काबिज काश्त हैं परन्तु राजस्व अहलकारान की गलती से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1033 का नक्शा ट्रेस बनाते समय करीबन 22 ऐयर पर ही बना दिया, यानि लगभग 08 ऐयर भूमि नक्शे में कम दर्शायी है। प्रार्थी की भूमि के लगते हुये प्रतिवादी नं. 02 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1031 है। जिसका रकबा 0.32 हैक्ट. है परन्तु खसरा नं. 1031 का नक्शा ट्रेस करीब 40 ऐयर का बना हुआ है जबकि कानूनन खसरा नं. 1031 का नक्शा–ट्रेस 32 ऐयर का ही बनाया जाना था। प्रार्थीगण की आराजी ख. नं. 1030 एवं अप्रार्थी सं. 02 की भूमि ख. नं. 1031 का साबिका खसरा नं. 651 रहा है। पूर्व में दोनों नंबरान का एक ही नक्शा था। सैटलमैन्ट के दौरान नये नंबरों के आधार पर नया नक्शा ट्रेस बनाते समय प्रार्थीगण की भूमि का नक्शा करीबन 08 एयर कम बनाकर अप्रार्थी सं. 02 की भूमि खसरा नं. 1031 का नक्शा 08 ऐयर बढा कर बना दिया जो कि कानूनन गलत है, जिसे दुरूस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1033 रकबा 0.3000 हैक्ट. का नक्शा ट्रेस को उसके रकबे 0.30 हैक्ट. के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। अप्रार्थी सं. 02 बावजूद जर्ये रजिस्टर्ड ए. डी. नोटिस तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी सं. 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रकरण में भू. अ. निरीक्षक गुढलिया रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीगण वकील बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एव संलग्न दस्तावेजातों व भू. अ. निरीक्षक गुढलिया रिपोर्ट का अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2076–2079 ग्राम भॉवता खाता सं. नया 35 पुराना 33 के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2076–79 ग्राम भॉवता खाता सं. नया 13 पुराना 14 के खसरा नं. 1031 रकबा 0.32 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 02 के नाम दर्ज है। मुताबिक जॉच रिपोर्ट भू. अ. निरीक्षक गुढलिया के संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार खसरा नं. 1033 रकबा 0.33 का रकबा गत खसरा नं. 651 में से बने खसरा नं. 1033 व 1031 को जमाबंदी में अंकित क्षेत्रफल अनुसार कम कर दिया गया है। किन्तु खसरा नं. 651 से नवीन खसरा नं. 1031 व 1033 किस कारण से हुए हैं। इसका कोई साक्ष्य पेश नहीं है। ना ही उक्त खसरा नंबरान का मिलान क्षेत्रफल संलग्न है। पत्रावली एवं भू. अ. निरीक्षक गुढलिया जॉच रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबरान का मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया गया है जिसके कारण यह ज्ञात नहीं होता है कि उक्त खसरा नंबर के गत खसरा नंबर क्या हैं व इन नंबरों से और कौन से नंबर बनाये गये हैं। अतः पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती नक्शा ट्रेस पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

16.7.24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner